

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3988 / योजना / एनआर-1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 23/04 / 2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

विषय: MGNREGS-MP के अंतर्गत राशि रु. 7.50 लाख से अधिक एवं राशि रु. 10.00 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की जानकारी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिन के द्वारा विगत दो वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में राशि रु. 10.00 लाख से अधिक व्यय किया गया है उन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

परिषद् को आंकलन हेतु ऐसी ग्राम पंचायतें जिन के द्वारा योजना प्रारम्भ से किन्ही दो वित्तीय वर्ष में राशि रु. 7.50 लाख से अधिक व्यय किया गया है उन ग्राम पंचायतों की जानकारी संकलित की जा रही है।

कृपया जानकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करें:-

जिला : -				
क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	योजना प्रारम्भ से किसी भी दो वित्तीय वर्ष में राशि रु. 10.00 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	योजना प्रारम्भ से किसी भी दो वित्तीय वर्ष में राशि रु. 7.50 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या

उक्त जानकारी प्रमुख सचिव महोदय को तीन दिवस में प्रस्तुत की जानी है। कृपया जानकारी आज ही फ़ैक्स अथवा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

Rishi
(रुही खान)

उपायुक्त
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

P.T.O.

पृ.क्र. 3989 / योजना / एनआर-1 / MGNREGS-MP / 2010

भोपाल, दिनांक 23/04/2010

प्रतिलिपि :-

उपायुक्त (विकास) समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रूही खान)

उपायुक्त

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल